

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक-वा0क0अधि0/यु0पी0 निरस्त/—/2024, लखनऊ :: दिनांक 09 फरवरी, 2024

—:: संशोधित आदेश ::—

सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-2 आगरा ने पत्र संख्या-24/2024 दिनांक 09.02.2024 द्वारा दिनांक 13.02.2024 व 14.02.2024 को व्यक्तिगत कारणों से कार्यालय आने में असमर्थता व्यक्त की है तथा आगरा पीठ में निर्धारित युगल पीठ कार्यक्रम दिनांक 12.02.2024 से 14.02.2024 को निरस्त करते हुए अन्य तिथियों में युगल पीठ निर्धारित करने का अनुरोध किया है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों में सम्यक रूप से विचार करते हुए पूर्व निर्गत उक्त आदेश सं0 02/2024 दिनांक 03-01-2024 को आंशिक रूप में संशोधित करते हुए आगरा पीठ में दिनांक 12-02-2024 से 14-02-2024 तक गठित युगल पीठ तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए दिनांक 15.02.2024 से 17.02.2024 युगल पीठ गठित की जाती है। शेष स्थिति यथावत बनी रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित कार्यालय/अधिकारियों को सूचित किया जाये।

(रणधीर सिंह)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या-वा0क0अधि0/यु0पी0 निरस्त/186/2024 दिनांक :: यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, लखनऊ पीठ- झांसी।
- 2- सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, कानपुर पीठ-1, 2, आगरा।
- 3- मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर/वेब अधिकारी मुख्यालय।
- 4- संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,



निबंधक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।